IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. M/B OF 2008 (P.I.L.)

Umesh Kumar Yadav VERSUS State of U.P. & others

ANNEXURE NO.

10

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 26 फरवरी, 2008
फाल्गुन 7, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 432/79-वि-1–08-1(क)58-2007
लखनऊ, 26 फरवरी, 2008

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 25 फरवरी, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2008)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उ० प्र० नियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है।"

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) में उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:-

"(चार) शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों।"

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात:-

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और प्रत्येक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।"

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों और इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रधान अध्यापकों, प्रवक्ताओं और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के चयन से सम्बन्धित सभी कार्य करने होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष है जो कि चयन प्रक्रिया की अनवरतता बनाये रखने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:-

(क) शब्द "सदस्य" की परिभाषा को संशोधित करना जिससे उसमें से अध्यक्ष को निकाल दिया जाय;

(ख) पात्रता के क्षेत्र को व्यापक करने के लिये सदस्य की अर्हता को संशोधित करना;

(ग) अध्यक्ष के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करना;

(घ) अध्यक्ष के पद को धारण करने की अधिकतम आयु को बासठ वर्ष से बढाकर अड़सठ वर्ष करना;

तदनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।